भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3045**

जिसका उत्तर 18.12.2025 को दिया जाना है

**राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन**

3045. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की कुल संख्या कितनी है और राष्ट्रीय राजमार्गों को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार पक्षों से वसूली गई मरम्मत लागत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उक्त अधिनियम के सख्त प्रवर्तन से राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों को होने वाली अपरिहार्य क्षति को रोकने में मदद मिलेगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा एनएचएआई की भूमि से गुजरने वाले प्रतिष्ठानों के लिए बिजली, पानी, गैस या दूरसंचार कंपनियों जैसे उपयोगिता सेवाप्रदाताओं से पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता को देखते हुए शुल्क लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 3 राजमार्ग प्रशासन के संस्थापन से संबंधित है। इस अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित धारा 36 के अधीन मरम्मत लागत की वसूली की जाती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) को नुकसान का कोई मामला सामने नहीं आया है। सरकार उक्त अधिनियम के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करती है।

(ग) सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/28/2015/एस एंड आर(आर), दिनांक 22.11.2016 और इसके बाद के संशोधनों के माध्यम से, संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ सार्वजनिक और औद्योगिक जनोपयोगी सेवाओं के लिए स्थान देने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अधीन व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के तहत, राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के उपयोग के लिए मानकों और शुल्कों का विवरण निर्दिष्ट किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के आरओडब्ल्यू में सार्वजनिक और औद्योगिक जनोपयोगिताओं के स्थान की अनुमति दी गई है, जो राष्ट्रीय राजमार्गों के मार्गाधिकार के मानदंडों को पूरा करने और शुल्क जमा करने पर निर्भर होगी।

*****